डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

ठासीन अधिकारीः– जय कौशिक (आर.ए.एस.)
करण संख्याः– 381/2025
दपत्र अन्तर्गत धारा :– 88/53 आरटीए

गुडडी देवी पत्नी श्री फूलाराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
महेन्द्र कुमार पुत्र श्री फूलाराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
रमेश कुमार पुत्र श्री फूलाराम जाति जाट निवासी नुकेरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़

– वादीगण

बनाम्

विमला देवी पुत्री श्री फूलाराम पत्नी श्री भूप सिंह जाति जाट नि. नुकेरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
नाजम सिंह पुत्र श्री चनन सिंह जाति तरखान निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
बलजिन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री जीत सिंह जाति तरखान नि.नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
जसविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री जीत सिंह जाति तरखान नि.नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
मोहन सिंह पुत्र स्व. श्री मिठू सिंह जाति तरखान नि.नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
पाला सिंह पुत्र स्व. श्री मिठू सिंह जाति तरखान निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
अमृतपाल सिंह पुत्र स्व. श्री सरजीत सिंह जाति तरखान नि. नुकेरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
गुरप्रीत सिंह पुत्र स्व. श्री सरजीत सिंह जाति तरखान नि.नुकेरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

––प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के समक्ष वास्ते नुफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई वकील तिवादीगण श्री कुलदीप मूण्ड प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता व डिक्री दी जाती हैः– चक 5 पी.टी.पी. के खाता सं. 20/11 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 2.024 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे एवं इसी प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से इसी चक 5 पी.टी.पी. के खाता सं. 4/23 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 0.506 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का एवं कब्जा काश्त के अभाव में प्रतिवादी सं. 2 एवं मृतक जीत सिंह, मिठू सिंह व सरजीत सिंह का नाम कलमजन करने तथा वादीगण के पति/पिता का नाम हरफूलराम उर्फ फूलाराम के स्थान पर फूलाराम अंकित कर वादीगण का इसी अनुसार खाता अलग किया जाकर रकमराज अलग से कायम करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के जवाबदावा उक्त निर्णय का जुज रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो ऋण यथावत रहेगा।

निज...X...नल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत्...X...निल...X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक...X...अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 11.8.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया